



प्रेस नोट 01- दिनांक 25.07.2024

थाना बारासगवर, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना स्थानीय पर आवेदक की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 15.03.2024 को मु0अ0सं0 27/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना अपहृता की बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। आज दिनांक 25.07.24 को थाना बारासगवर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त पवन कुमार कोरी पुत्र गनेश प्रसाद निवासी ग्राम भवानीखेडा मजरा टेढा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव को ग्राम भवानीखेडा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण- 1.पवन कुमार कोरी पुत्र गनेश प्रसाद उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम भवानीखेडा मजरा टेढा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.व0उ0नि0 मानिकराम वर्मा
- 2.हे0का0 राकेश शर्मा





प्रेस नोट 02- दिनांक 25.07.2024

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव

हत्या के प्रयास एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 05 उपद्रवी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 22.07.2024 को थाना बांगरमऊ के ग्राम मऊ में दो पक्षों के मध्य हुए विवाद के संदर्भ में थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 263/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/121(1)/132/352/351(2) BNS व 7 CLA ACT व मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 264/24 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/ 324V/118(1)/110/115(2)/352/74/333/351(3) BNS पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक को थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा उरोक्त अभियोग से संबन्धित अभियुक्तगण 1. सोएब अली पुत्र रफिदाद अली 2. पप्पू उर्फ मतलूब पुत्र एतमाद अली 3. इमरान पुत्र इसरार 4. समीर अली पुत्र इरफान अली निवासीगण ग्राम मऊ थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव 5. तौसीब पुत्र मंजूर निवासी ग्राम भटियापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के नीचे अण्डपास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. सोएब अली पुत्र रफिदाद अली
2. पप्पू उर्फ मतलूब पुत्र एतमाद अली
3. इमरान पुत्र इसरार
4. समीर अली पुत्र इरफान अली निवासीगण ग्राम मऊ थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव
5. तौसीब पुत्र मंजूर निवासी ग्राम भटियापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

- I. सोएब अली पुत्र रफिदाद अली निवासी ग्राम मऊ थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष
 1. मु0अ0सं0 263/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/121(1)/132/352/351(2) BNS व 7 CLA ACT
 2. मु0अ0सं0 264/24 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/ 324V/118(1)/110/115(2)/352/74/333/351(3) BNS
 3. मु0अ0सं0 180/24 धारा 147, 352, 504, 506 भादवि
- II. पप्पू उर्फ मतलूब पुत्र एतमाद अली निवासी ग्राम मऊ थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 52 वर्ष
 1. मु0अ0सं0 263/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/121(1)/132/352/351(2) BNS व 7 CLA ACT
 2. मु0अ0सं0 264/24 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/ 324V/118(1)/110/115(2)/352/74/333/351(3) BNS
 3. मु0अ0सं0 180/24 धारा 147, 352, 504, 506 भादवि
- III. इमरान पुत्र इसरार निवासी ग्राम मऊ थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

1. मु0अ0सं0 263/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/121(1)/132/352/351(2) BNS व 7 CLA ACT
 2. मु0अ0सं0 264/24 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/ 324V/118(1)/110/115(2)/352/74/333/351(3)
- BNS**
3. मु0अ0सं0 0037/2021 धारा 336, 452, 504 भादवि
 4. मु0अ0सं0 112/21 धारा 147, 336, 504 भादवि
 5. मु0अ0सं0 180/24 धारा 147, 352, 504, 506 भादवि
 6. मु0अ0सं0 256/19 धारा 323, 325, 336, 504, 506 भादवि
 7. मु0अ0सं0 1887/2008 धारा 147, 323, 323, 325, 504, 504, 506, 506 थाना बांगरमऊ
 8. मु0अ0सं0 6185/2009 धारा 147, 147, 148, 148, 149, 149, 307, 307 थाना बांगरमऊ
- IV. समीर अली पुत्र इरफान अली निवासी ग्राम मऊ थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष**
1. मु0अ0सं0 263/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/121(1)/132/352/351(2) BNS व 7 CLA ACT
 2. मु0अ0सं0 264/24 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/ 324V/118(1)/110/115(2)/352/74/333/351(3)
- BNS**
- V. तौसीब पुत्र मंजूर निवासी ग्राम भटियापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष**
1. मु0अ0सं0 263/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/121(1)/132/352/351(2) BNS व 7 CLA ACT
 2. मु0अ0सं0 264/24 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/ 324V/118(1)/110/115(2)/352/74/333/351(3) BNS

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण मोहन मिश्रा
2. हे0का0 धीरेन्द्र सिंह
3. का0 कमल सैनी
4. का0 राममिलन सोनकर





प्रेस नोट 03- दिनांक 25.07.2024

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव

सरिया चोर गिरफ्तार, चोरी की सरिया व अन्य लोहे का सामान बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त को मय चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.07.2024 को राजेश कुमार पुत्र श्री विश्राम सिंह ग्रा० नगला खुर्दन डा० कुर्रा जि० मैनपुरी जो कि उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० मे स्टोर मुंशी के पद पर तैनात है तथा रेल उपरिगामी सेतु 40 C सरैया पर कार्यरत है, द्वारा थाना गंगाघाट पर तहरीरी दी गई कि आरओबी निर्माण के समय सरैया क्रासिंग के पास निर्माण सम्बन्धी सरिया (पतले मोटे) सेतु निगम व रेलवे के मौके पर पड़े रहते हैं। जिनमे कुछ सरिया चोरी हुआ है। जिसके बारे जानकारी करने पर पता चला कि उक्त चोरी व सरिया मुकेश पुत्र श्रीराम विलास सविता निवासी ग्राम सरैया थाना गंगाघाट ने अलग अलग समय में थोडा थोडा चोरी करके अपने घर मे रख रखा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 334/2024 धारा 303(2) भा०न्या०संहिता 2023 पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 25.07.2024 को थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र श्री रामविलास सविता निवासी ग्राम सरैया थाना गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष को कब्जे से 6 अदद 5 सूती 20 फुटी सरिया व 30 अदद छोटे बड़े 32 सूती सरिया के टुकड़े व 4 अदद एनाल व पत्ती के रेलवे के जाल व 03 अदद छोटे बड़े सरिया के जाल व 44 अदद 4 सूती सरिया के गोल रिंग व सेतू निर्माण हेतु पिलर में लगाये जाने वालो फ्रेम के कटे हुये दो अदद टुकड़े व छोटे छोटे 3 व 4 सूत सरिया के 23 अदद टुकड़े बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण- 1- मुकेश पुत्र श्री रामविलास सविता निवासी ग्राम सरैया थाना गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी- 6 अदद 5 सूती 20 फुटी सरिया व 30 अदद छोटे बड़े 32 सूती सरिया के टुकड़े व 4 अदद एनाल व पत्ती के रेलवे के जाल व 03 अदद छोटे बड़े सरिया के जाल व 44 अदद 4 सूती सरिया के गोल रिंग व सेतू निर्माण हेतु पिलर में लगाये जाने वालो फ्रेम के कटे हुये दो अदद टुकड़े व छोटे छोटे 3 व 4 सूत सरिया के 23 अदद टुकड़े

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० राजीव कुमार
2. हे०का० पातीराम मोर्या
3. हे०का० नीलेश वर्मा
4. हे०का० सुभाष चन्द्र सिंह
5. का० मनोज पलावत
6. का० निपेन्द्र कुमार
7. का० प्रिन्स शर्मा





प्रेस नोट 04- दिनांक 25.07.2024

जनपद उन्नाव

चार वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां, थाना हसनगंज व थाना बारासगवर पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना मौरावां- थाना मौरावां पुलिस द्वारा केस नम्बर 09/2007 व अ0सं0 171/2004 मान0 न्यायालय विशेष कोर्ट एससीएसटी एक्ट उन्नाव द्वारा जारी NBW से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त 1. राम चन्द्र यादव पुत्र राम भरोसे यादव नि0 ग्राम ईश्वरीबक्श खेडा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 48 वर्ष व केस नम्बर 231/2019 व अ0सं0 123/2019 से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त 2. गोलू उर्फ महेन्द्र पुत्र देवतादीन नि0 ग्राम सरायं ठकुरी थाना मौरावां उन्नाव उम्र 20 वर्ष को मौरावां पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.07.2024 को क्रमशः ग्राम ईश्वरीबक्श खेडा व ग्राम सरायं ठकुरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

थाना हसनगंज- आज दिनांक 25.07.2024 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा 1.गुरुप्रसाद पुत्र नन्हा निवासी सरायमलकादिम थाना हसनगंज जनपद उन्नाव संबंधित केश नं0-1495/19 , अ0सं0-138/04 धारा 325/323/506 भादवि संबंधित न्यायालय एसीजेएम-2 उन्नाव को उनके घर से गिरफ्तार किया गया तथा विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना बारासगवर- आज दिनांक 25.07.2024 को थाना बारासगवर पुलिस द्वारा वाद संख्या 175/2023 मु0अ0सं0 212/2004 धारा 279/337/338/427 भादवि थाना बारासगवर उन्नाव बनाम वारण्टी अमर बहादुर सिंह उर्फ बबलू यादव पुत्र राजपाल यादव उम्र करीब 40 वर्ष नि0 भगवन्तखेडा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय सदर उन्नाव भेजा गया।